

11/184/2023
27.9.23

फर्द अहकाम

कार्यलय उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़ (अलवर)
जमिन्दार कौर बनाम सुखकिंदर कौर वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
27.9.23	<p>वकील पादी उप०। वकील की ओर से एड. श्रीमती प्रमोदकुमारी ने आज यह दावा पेश किया है। इसका रजिस्ट्रार को जर्ने रजि० डाक से सम्मान तत्व है। फावली वाले तलबी दिनांक 11.10.2023 को पेश है।</p>	
11.10.23	<p>फावली पेश हुई। ककुत्साप उप० तद्विषयी स.० 6 की ओर अधिवक्ता सौ. सुभाष चोपड़ा व सविपी. 18, 19 की ओर से अधिवक्ता सुशीला भारद्वाज ने ककुत्सापनामा पेश किया। फावली वाले शेषी की तलबी व 6, 18, 19 का जवाब दिनांक 17.11.23 को पेश है।</p>	
17.11.23	<p>फावली पेश। P.O. साहब पुनाव है। फावली दिनांक 23.11.23 को पेश हो।</p>	
29.12.23	<p>..... उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 11.10.23 की पालना में फावली वाले दिनांक 25.11.24 को पेश हो।</p>	
25.1.24	<p>..... उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 11.10.23 की पालना में फावली वाले दिनांक 13.2.24 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

रीडर

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
अहकाम
जारी

09.6.25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली
वाले जवाब व शेष की तलबी डिनांक
03.7.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगड (अलवर) राज०

03.7.25

पत्रावली पेश हुई। कुलनाथ पट्टाभाष उपस्थित।
पत्रावली की शर्तों से प्रतिवादी संख्या 6, 18, 19
को जवाब में विवातपत्र है। जवाब हेतु पर्याप्त
अवसर दिये जा चुके हैं। परन्तु प्रतिवादी संख्या
6, 18, 19 के द्वारा आदिनांक तक जवाब पेश नहीं
किया गया। अतः प्रतिवादी संख्या 6, 18, 19 का जवाब
अदालत में पेश नहीं किया जायेगा। पत्रावली वाले तलबी प्रतिवादी
संख्या 1 लगायत 5, 7 लगायत 17 एवं 20, 21 की
तलबी हेतु आवश्यक रूप से तलबनामा पेश करे अन्यथा
पत्रावली का ~~का~~ ORC के द्वारा अन्तर्गत निवृत्त
कर लिया जायेगा। पत्रावली डिनांक 12.8.25 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगड (अलवर) राज०

12.8.25

पत्रावली पेश हुई। कुलनाथ पट्टाभाष उपस्थित।
वकील वादी का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5,
7 लगायत 17, 20 व 21 की तलबी हेतु पर्याप्त
अवसर दिये जा चुके हैं। परन्तु वकील वादी
के द्वारा उक्त की तलबी हेतु अतः शेष
तलबनामा पेश नहीं किया गया। अतः द्वारा
वकील वादी सिविल प्रक्रिया विहित 1908
के अधिनियम 05 के अन्तर्गत
खालिज किया जाता है। पत्रावली पेश
दूसरे चरण मजदूर से अन्य होना
तलबी के दायित्व दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगड (अलवर) राज०